राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 8] सातवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार

दिनांक 5 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह 11.59 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महा महिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सचिव, राजस्थान विधान सभा।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : मैं, श्रीमन् महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

राष्ट्रपति व राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

महोदय मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

2. राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983

3. सार्वजनिक वक्त (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983

4. राजस्थान कानिया उपरोपण विधेयक, 1982

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983

2. राजस्थान अभिघृति (संशोधन) विधेयक, 1983

3. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983

(श्री सचिव)

4. राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983

अधिनियम का परिशोधित पाठ

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी,

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2)—राजस्थान आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अधिनियम, 1970 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

इस अधिनियम का परिशोधित पाठ गत सत्रों में सदन की मेज पर रखा गया था परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसे प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी,

श्री शिव चरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983)

(2) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1983)

श्री अध्यक्ष : श्रम मन्त्री, श्री हीरालाल देवपुरा,

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1983) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : उपनिवेशन मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कार्निया उपरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आवासन मन्त्री जी,

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधि मान्यकारी) अध्यादेश 1984 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1984) सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनायें

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें। उपनिवेशन मन्त्री जी,

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4 (2) रेव,/कोल 81 दिनांक 16–9–83 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4 (9) रेव/कोल/83 दिनांक 9–9–83 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनायें, सरकारी भूमि का आवंटन नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4 (12) राज,/उप/83 दिनांक 23–9–1983 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर कलेक्टर के सभी कृत्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4 (12) राज/उप/83 दिनांक 23–9–1983 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर कलेक्टर के सभी कृत्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या एफ 4 (12) राज/उप/83 दिनांक 24–10–1983 जिसके द्वारा राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-6-1983 को विखण्डित किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4 (11) रेव/कोल/83 दिनांक 5–10–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं;

(7) अधिसूचना संख्या एफ 4 (19) रेव/कोल/83 दिनांक 13–10–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवटन तथा विक्रय नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा जैसलमेर तहसील के कतिपय गांवों में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के उपबन्ध लागू किया गये हैं;

(श्री चन्दनमल बैद)

(10) अधिसूचना संख्या प. 4(11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र में सर्वेक्षित क्षेत्रों में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षित क्षेत्रों में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षित क्षेत्रों में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षित क्षेत्र में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या प. 4 (1) राज/उप/83 दिनांक 14–12–1983 जिसके द्वारा डिप्टी कलेक्टर (जागीर) श्री गंगानगर को राजस्थान उपनिवेशन गैर दाखिलकार काश्तकारों को पैंतालिसा क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन शर्तें, 1970 के अन्तर्गत भूमि आवंटन हेतु कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या एफ 4 (13) रेव/कोल/83/I दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय नियम, 1975 में संशोधन किया गया है:

(16) अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) रेव/कोल/83/II दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 19 में संशोधन किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) रेव/कोल/83/III दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या एफ 4 (13) राज/उप/83/IV दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या प. 4 (13) राज/उप/83/V दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जवाई परियोजना में सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) रेव/कोल 83 VI दिनांक 25–11–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम

(श्री चन्दनमल बैद)

तथा लघु सिंचाई परियोजनायें सरकारी भूमियों का आवंटन) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) रेव/कोल/75/भाग, दिनांक 25-11-1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या प. 3 (15) रेव/कोल/76 दिनांक 1–12–1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/83 दिनांक 20–1–1984 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर कलेक्टर के सभी कृत्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या प 4 (12) राज/उप/83 दिनांक 20–1–1984 जिसके द्वारा उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना मुख्यावास बज्जू को राजस्थान नहर परियोजना तहसील (उपनिवेशन) के कतिपय क्षेत्रों में कलेक्टर के कृत्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या प. 4 (20) राज/उप/83 दिनांक 19–1–1984 जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों को उपनिवेशन तहसील घोषित किया गया है;

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व (ग्रुप 4) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 6 (21) रेव/ग्रुप–4/83/81 दिनांक 27 जुलाई, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेन्ट) रूल्स, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या एफ 2 (6) रेव/ग्रुप–4/82/85 दिनांक 24-8-1983 जिसके द्वारा राजस्थान पास बुक (एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स रूल्स, 1983 में संशोधन किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : परिवहन मन्त्री जी,

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप–7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबन्धित बसें कर मुक्त की गई हैं :—

1. अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह–7/83 दिनांक 16–9–83
2. अधिसूचना संख्या प. 5 (26) गृह–7/83 दिनांक 17–9–1983
3. अधिसूचना संख्या प. 5 (30) गृह–7/83 दिनांक 17–9–1983
4. अधिसूचना संख्या प. 5 (29) गृह–7/83 दिनांक 17–9–1983
5. अधिसूचना संख्या प. 5 (32) गृह–7/83 दिनाक 24–9–1983
6. अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह–7/82 दिनांक 29–9–1983
7. अधिसूचना संख्या प. 5 (38) गृह–7/83 दिनांक निल
8. अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह–7/83 दिनांक 3–10–1983
9. अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह–7/83 दिनांक 3–10–1983
10. अधिसूचना संख्या प. 5 (39) गृह–7/83 दिनांक 3–10–1983
11. अधिसूचना संख्या प. 5 (42) गृह–7/83 दिनांक 3–10–1983
12. अधिसूचना सख्या प. 5 (45) गृह–7/83 दिनांक 3–10–1983
13. अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह–7/83 दिनांक 6–10–1983
14. अधिसूचना संख्या प. 5 (40) गृह–7/83 दिनांक 6–10–1983
15. अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह–7/83 दिनांक 17–10–1983
16. अधिसूचना सख्या प. 5 (53) गृह–7/83 दिनांक 17–10–1983
17. अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह–7/83 दिनांक 17–10–1983
18. अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह–7/83 दिनांक 17–10–1983
19. जधिसूचना संख्या प. 5 (64) गृह–7/83 दिनांक 20–10–1983
20. अधिसूचना संख्या प. 5 (52) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983
21. अधिसूचना संख्या प. 5 (51) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983
22. अधिसूचना संख्या प. 5 (61) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983
23. अधिसूचना संख्या प. 5 (60) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983
24. अधिसूचना संख्या प. 5 (59) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983
25. अधिसूचना संख्या प. 5 (58) गृह–7/83 दिनांक 21–10–1983

26. अधिसूचना संख्या प. 5 (67) गृह–7/83 दिनांक 24–10–1983
27. अधिसूचना संख्या प. 5 (65) गृह–7/83 दिनांक 24–10–1983
28. अधिसूचना संख्या प. 5 (66) गृह–7, 83 दिनांक 24–10–1983
29. अधिसूचना संख्या प. 5 (33) गृह–7/83 दिनांक 31–10–1983
30. अधिसूचना संख्या प. 5 (7) गृह–7/83 दिनांक 1–11–1983
31. अधिसूचना संख्या प. 5 (69) गृह–7/83 दिनांक 1–11–1983
32. अधिसूचना संख्या प. 5 (68) गृह–7/83 दिनांक 1–11–1983
33. अधिसूचना संख्या प. 5 (70) गृह–7/83 दिनांक 1–11–1983
34. अधिसूचना संख्या प. 5 (72) गृह–7/83 दिनांक 10–11–1983
35. अधिसूचना संख्या प. 5 (73) गृह–7/83 दिनांक 11–11–1983
36. अधिसूचना संख्या प. 5 (74) गृह–7/83 दिनांक 11–11–1983
37. अधिसूचना संख्या प. 5 (76) गृह–7/83 दिनांक 11–11–1983
38. अधिसूचना संख्या प. 5 (75) गृह–7/83 दिनांक 11–11–1983
39. अधिसूचना संख्या प. 5 (78) गृह–7, 83 दिनांक 11–11–1983
40. अधिसूचना संख्या प. 5 (79) गृह–7/83 दिनांक 19–11–1983
41. अधिसूचना संख्या प 5 (81) गृह–7/83 दिनांक 19–11–1983
42. अधिसूचना संख्या प. 5 (80) गृह–7/83 दिनांक 19–11–1983
43. अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह–7/83 दिनांक 24–11–1983
44. अधिसूचना संख्या प. 5 (82) गृह–7/83 दिनांक 30–11–1983
45. अधिसूचना संख्या प. 5 (83) गृह–7/83 दिनांक 9–12–1983
46. अधिसूचना संख्या प. 5 (84) गृह–7, 83 दिनांक 13–12–1983
47. अधिसूचना संख्या प. 5 (85) गृह–7, 83 दिनांक 17–12–1983
48. अधिसूचना संख्या प. 5 (87) गृह–7, 83 दिनांक 17–12–1983
49. अधिसूचना संख्या प. 5 (86) गृह–7/83 दिनांक 17–12–1983
50. अधिसूचना संख्या प. 5 (89) गृह–7/83 दिनांक 23–12–1983

51. अधिसूचना संख्या प. 5 (91) गृह-7/83 दिनांक 24-12-1983
52. अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7/83 दिनांक 26-12-1983
53. अधिसूचना संख्या प. 5 (94) गृह-7/83 दिनांक 2-1-1984
54. अधिसूचना संख्या प. 5 (81) गृह-7/84 दिनांक 5-1-1984
55. अधिसूचना संख्या प. 5 (2) गृह-7/84 दिनांक 5-1-1984
56. अधिसूचना संख्या प. 5 (3) गृह-7/84 दिनांक 12-1-1984
57. अधिसूचना संख्या प. 5 (5) गृह-7/84 दिनांक 23-1-1984
58. अधिसूचना संख्या प. 5 (7) गृह-7/84 दिनांक 23-1-1984
59. अधिसूचना संख्या प. 5 (6) गृह-7/84 दिनांक 25-1-1984
60. अधिसूचना संख्या प. 5 (8) गृह-7/84 दिनांक 25-1-1984
61. अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7/84 दिनांक 25-1-1984
62. अधिसूचना संख्या प. 5 (9) गृह-7/84 दिनांक 7-2-1984
63. अधिसूचना संख्या प. 5 (11) गृह-7/84 दिनांक 18-2-1984
64. अधिसूचना संख्या प. 5 (12) गृह-7/84 दिनांक 20-2-1984

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे । मुख्य मन्त्री जी ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1981-82 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 27 वीं रिपोर्ट भाग I व II 1979-80 और 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी ।

श्री अहमद बख्श सिंधी (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1980–81 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं

श्री अध्यक्ष : दो प्रतिवेदन हैं ।

श्री अहमद बख्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980–81,

(2) दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981–82 व दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1980–81 का वार्षिक प्रतिवेदन…………

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तीन रखे हैं । तीसरा दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1980–81 का वार्षिक प्रतिवेदन····

(व्यवधान)

इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा, दो प्रतिवेदन रखे हैं या एक ही प्रतिवेदन रखा है ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड की रिपोर्ट सम्बन्धी और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1980–81·······

श्री अध्यक्ष : 1980–81 का है ।

श्री अहमद बख्श सिंधी : केवल राजस्थान टेनरीज लिमिटेड का रखा है ।

(व्यवधान)

दुबारा पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं—

(1) दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81।

(2) दी राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का 10 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981–82।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह तो चार हो गये ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण दे दिया कि एक ही वर्ष के लेखे रखे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दी गंगानगर शुगर मिल्स के बारे में कुछ नहीं कहा । टेनेरीज के बारे में कह रहे हैं, वह मेरा प्रश्न ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ देंगे फिर पढ़ दें। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1980–81 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अहमद बख्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्ष 1980–81 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पर्यटन राज्य मन्त्री।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मन्त्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1981–82 सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत करता हूं—

(1) श्री रामनारायण चौधरी

(2) श्रीमती विद्या पाठक

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(3) श्री सूर्यकुमार

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रृद्धांजलि

श्री यूरी आन्द्रोपोव राष्ट्रपति, सोवियत रूस व पूर्व सदस्य श्री पोहूमल ईसर दास और जगदीश सिंह को श्रृद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए अत्यन्त दुःख का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक नक्षत्र हमारे बीच से उठ गया है। सोवियत रूस के राष्ट्रपति श्री यूरो ब्लादिमिरोविच आन्द्रोपोव हमारे बीच में नहीं रहे।

सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता की भांति श्री आन्द्रोपोव ने रूस की लाल क्रांति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री आन्द्रोपोव का जन्म 1914 में हुआ था। अपनी पार्टी में विभिन्न स्थानों पर रह कर अभूतपूर्व सेवा उन्होंने की थी।

श्री आन्द्रोपोव सोवियत संघ के नेता तो थे ही साथ ही वह भारत के घनिष्ठ मित्र थे। यद्यपि कामरेड आन्द्रोपोव का कार्यकाल केवल डेढ़ वर्ष का रहा लेकिन इस अल्पकाल में ही उन्होंने भारत के साथ सोवियत संघ के जो आपसी सम्बन्ध थे उनको और सुदृढ़ करने तथा सोवियत जनता के सुख और समृद्धि में वृद्धि करने का अथक प्रयास किया। वैसे आयु की दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा आयु उनकी नहीं थी। कुल मिलाकर वह 68 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। लेकिन अचानक बीमार होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

उन्होंने अपने जीवन काल में सोवियत जनता की उन्नति के लिये और समृद्धि के लिये निरन्तर कार्य किया। तीसरी दुनियां के देशों के द्वारा प्रतिपादित और पल्लवित निर्गुट आन्दोलन के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति थी। उनका कहना था कि निर्गुट देशों से सोवियत संघ की मैत्री का एक मात्र उद्देश्य यह है कि विश्व में शांति और सद्भाव हो और अविकसित राष्ट्रों का समुचित विकास हो सके।

उनके दुखद निधन से न केवल उनकी पार्टी को, न केवल सोवियत संघ के देश को बल्कि सारे विश्व को और विशेष रूप से विश्व शांति में विश्वास रखने वाले दुनियां के देशों के लोगों की एक गहरी क्षति हुई है।

मैं मेरी ओर से और सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्री आन्द्रोपोव की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि सदन की भावना सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ देश को और उनके परिवार को पहुंचा दी जाय।

मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से श्री आन्द्रोपोव के निधन पर उनके प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बीच इस सदन के दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों का भी देहांत हुआ। उनके प्रति मैं अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री पोहूमल ईसरदास कांग्रेस के विधान सभा के सदस्य रहे। आजादी के पहले भारत-पाक विभाजन से पहले सिन्ध में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1947 के बाद श्री पोहूमल सिन्ध, हैदराबाद से अजमेर आ गये। वहां भी उन्होंने जो कार्य पहले करते रहते थे, सार्वजनिक जीवन में उनको जारी रखा। श्री पोहूमल अजमेर में अनेक सार्वजनिक संस्थानों में गहरी रुचि लेते रहे। वे अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य रहे 1952 से 54 तक। अजमेर नगर कांग्रेस मण्डल के 1958 तक अध्यक्ष रहे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अजमेर के सदस्य रहे और हरिजन हितकारिणी सभा, पहाड़गंज, अजमेर के भी सदस्य रहे। उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी रुचि थी। उन्होंने अजमेर में स्थित आदर्श विद्यालय, हायर सैकण्डरी स्कूल के मैनेजर रह कर बहुत अभूतपूर्व सेवायें शिक्षा के क्षेत्र में की हैं, इस विद्यालय की, की है।

वे होमियोपैथी डाक्टर एसोसिएशन के 1960 से आनरेरी सैक्रेटरी, 1952 से सिन्धी एजुकेशनल बोर्ड, अजमेर के सैक्रेटरी रहे, लोक सेवा मण्डल, अजमेर के 1959 से अध्यक्ष रहे और अन्य कई संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

आपकी सिंधी भाषा के प्रकाशन में भी बड़ी रुचि थी। आप जनता साप्ताहिक (सिंधी भाषा में) का कई वर्षों तक सम्पादन करते रहे।

श्री पोहूमल के निधन से जहां उनके परिवार को गहरी वेदना हुयी है, वहीं हम सब लोगों को भी गहरा दुःख हुआ है।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं उनके प्रति अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और दुखी परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिनों पहले इसी सदन के एक भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री जगदीश सिंह जी का भी निधन हो गया। जगदीश सिंह जी से मेरा स्वयं का कोई परिचय नहीं रहा। लेकिन जैसी जानकारी की है वे एक अच्छे वकील थे। वे बार एसोसियेएशन के अध्यक्ष रहे। गरीबों और किसानों की हमेशा मदद करते थे। वे इस सदन की सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष रहे 1979-80 तक। उनका निधन अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ है, उससे हम सब को वेदना है।

मैं अपनी ओर से जगदीश सिंह जी के निधन पर विनम्र श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दुखी परिवार को इस दुःख को सहने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, एक और भूतपूर्व माननीय सदस्य चन्द्रसिंह बर्फा का भी निधन हो गया है। आपको जानकारी भी है। आप वहां जाकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी सूचनायें मंगाने की हमारी प्रक्रिया है उसके पूरा होते ही श्रृद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उठा दिया मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था लेकिन मेरा निवेदन है कि इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया केवल यह है, सरकारी अधिकारियों को भूतपूर्व माननीय सदस्य के निधन के समाचार देने चाहिये। यदि वह समाचार नहीं देता है तो सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है जब आपको जानकारी है, आप जाकर आये हैं, तो प्रक्रिया केवल एक ही बाकी रहती है कि जिस अधिकारी ने सूचना नहीं भेजी है……

श्री अध्यक्ष : यह सदन के सामने आ गया है इसकी ताकीद करके तुरन्त सूचना मंगा लेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी हो सकती है लेकिन ऐसी जल्दी में शोकाभिव्यक्ति में कभी-कभी गलती भी हो जाती है, इससे आप परिचित हैं। शिकायत करते हैं फिर वह आकर।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मन्त्री, संसदीय कार्य) : गलती इससे बड़ी क्या होगी जो जयप्रकाश जी के बारे में हो गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि जिन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया यदि आप जयप्रकाश बाबू की आड़ में उनको बचाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह कोई आरग्युमेन्ट नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि आपने कहा वह बिल्कुल सही है लेकिन अधिकारियों की तरफ से जब यह सूचना सचिवालय में आ जायगी उसके बाद ही ऐसा करना ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि···

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। यह सूचना अब हम मंगवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे इसी पर आपत्ति है। आप कह रहे हैं यह सूचना मंगवा लेंगे। यह सूचना देनी है, मंगवाने का सवाल पैदा नहीं होता सूचना देनी है, उनको देनी चाहिये, उन्होंने नहीं दी जबकि इस सदन को सारी जानकारी है, आपको जानकारी है, कई माननीय सदस्य वहां जाकर आये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, खुद मौके पर जाकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाय।

श्री नाथूसिंह : नहीं, मैं यह बात नहीं कह रहा। पंजाब में हिंसा से जो लोग मरे हैं पिछले दिनों, मैं चाहता हूं कि उन लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट करें उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित करें। लोक सभा में भी उनको श्रृद्धांजलि अर्पित की गई, दूसरी विधानसभाओं में भी उनको श्रृद्धांजलि अर्पित की गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !] ऑर्डर ! विरोधी पक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसमें अपने आपको भागीदार बनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, रूस के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री यूरी आन्द्रोपोव, इस सदन के सदस्य श्री पोहूमल ईसरदास व श्री जगदीश सिंह के प्रति मैं अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री यूरी आन्द्रोपोव इस देश के मित्र रहे हैं और विश्वशांति का उन्होंने निरन्तर प्रयास किया है। विश्व में आज जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इन परिस्थितियों के निराकरण में उनकी उपस्थिति से जिस प्रकार का योगदान हो सकता था उसका अभाव न केवल राजस्थान को या इस देश को बल्कि पूर्ण संसार को अखरेगा। मैं ऐसी स्थिति में केवल यही कह सकता हूं कि भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया और इसके लिए हम सबको बहुत ही खेद है।

श्री पोहूमल ईसरदास इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, सिन्धी भाषा के बहुत अच्छे एडवोकेट थे। इस सदन में कई बार सिन्धी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने के सम्बन्ध में उन्होंने प्रयास किये हैं। संविधान में इस भाषा को जो कुछ भी मान्यता प्राप्त हुई उसमें श्री पोहूमल का भी बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन है। वह अच्छे समाज सेवक थे। राजनीति के क्षेत्र में भी शुद्ध राजनीति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में विश्वास रखने वाला वह व्यक्तित्व हमारे बीच में से उठकर गया है, हमें इस बात का बहुत दुख है।

श्री जगदीशसिंह मृत्यु के कुछ दिन पहले दिन मुझसे मिले थे। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तीन दिन बाद ही श्री जगदीशसिंह की मृत्यु का समाचार मिलेगा। लेकिन देवी शक्ति के सम्बन्ध में न कोई अनुमान लगा सकता है और न इस सम्बन्ध में किसी को कोई जानकारी हो सकती है।

वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने क्षेत्र में, ही लोक प्रिय नहीं थे, खास तौर से अपने साथियों में सबसे ज्यादा लोक प्रिय थे। मृदुभाषी और एक अच्छे एडवोकेट थे। जन समस्याओं को लेकर जुझारू प्रवृति का यह व्यक्ति हमारे बीच से उठकर चला गया, हमें इस बात का बड़ा दुख है।

मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन तीनों व्यक्तियों को शांति प्रदान करें, इनके शोक सन्तप्त परिवारों को उनकी मृत्यु के कारण होने वाले दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्ध एक मात्र केन्द्रीय सरकार के तत्वाधान में आते हैं किन्तु कामरेड यूरी आन्द्रोपोव का विशेष स्थान था जिसके इस संसार में दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह कि उन्होंने निरन्तर प्रयास किया और प्रयास यह किया कि शांति, पीस के लिये उनके देश की जो नीति है उसमें उनका जो कन्ट्रीबूयशन है वह स्मरणीय है। दूसरा यह कि जब देश के खुश्चेव और बुलगानिन युग के बाद जो सम्बन्ध स्थापित हुए उन सम्बन्धों को और भी दृढ़ बनाने में यूरी आन्द्रोपोव का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हमारी दिलचस्पी दोनों में है। हमारी दिलचस्पी इसमें है कि संसार में शान्ति रहे। जो नये नेता रूस के चुने गये हैं। चेरनेन्को, वह पूरा करेंगे, रखेंगे, यह हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तनाव कम हो और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, राजनीति में कुछ शांति तनाव कम हो ग्राये खास तौर से नष्ट करने वाले अस्त्र-शस्त्र हैं, आणविक शस्त्र, रसायनिक शस्त्र, उनकी सीमा बान्धने का, उनको खतम करने का जो प्रयास आन्द्रोपोव ने किया वह भी संसार के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। इन दोनों कारणों से मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं उन भावनाओं में, उस श्रृद्धांजलि में जो अभी अभी सदन के नेता ग्रौर विरोधीपक्ष के नेता ने यहां प्रकट की है। मैं आशा करता हूं उनके जो उत्तराधिकारी हैं चेरनेन्को वह उसी मित्रता को बनाये रखेंगे और मजबूत करेंगे। जिसके द्वारा हम कह सकते हैं, भारत को, हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और मित्रता हमारी न हुई होती तो न जाने किन कठिनाइयों से हम गुजरे होते।

मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री पोहूमल से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं था, मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं

(श्री राजबहादुर)

थी। दूर से नाम ही सुना था, दूर से आदर किया था।

जगदीशसिंह जी को मैं थोड़ा बहुत जानता था पिछले दिनों वह सचमुच बहुत मिलनसार, बहुत ही योग्य, बहुत ही निष्ठावान और सिद्धान्त के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सिद्धान्त नहीं छोड़े और अन्त तक सिद्धान्तों पर टिके रहे।

इन दोनों के परिवारों के लिए सहानुभूति व्यक्त करता हूं। और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता की तरफ से जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं मेरे दल की और मेरी हार्दिक संवेदना शामिल करता हूं। माननीय यूरी आन्द्रोपोव, जो रूस के राष्ट्रपति थे, एक साधारण कार्यकर्ता थे। राष्ट्रपति के पद तक जो उन्होंने जो उन्नति करी उसके पीछे उनका राष्ट्रप्रेम और विश्व भ्रातृत्व की भावना थी उसको राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने बनाये रखा। विश्व शान्ति के लिए एक ऐसा कदम उठाने की इच्छा सदैव उनके मन में इच्छा रहती थी जिससे जो महा युद्ध का खतरा है वह टल जाय। निश्चित रूप से उनकी मृत्यु के बाद भारतवर्ष ने एक सच्चा हितैषी और सच्चा मित्र खो दिया। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, भारतवर्ष को ऐसा महसूस होने लगा कि सोवियत रूस की भावना बदल जायगी परन्तु जो परम्परा है वह उसी रूप में बनी रहनी चाहिये। अन्त में, मैं यही कहूंगा दिवंगत आत्मा को परमपिता ईश्वर शान्ति प्रदान करे।

हमारे सदन के श्री पोहूमल ईसरदास, के बारे में मेरे को मालूम पड़ा कि वह सिन्धी के बहुत अच्छे विद्वान थे। निरन्तर इस सदन में और माननीय सदन की कार्यवाहियों में बहुत अच्छी तरह से भाग लिया।

सरदार जगदीशसिंह धौलपुर से विधायक थे। दलगत भावना से ऊपर उठकर उनकी यही चेष्टा रहती थी कि किसी तरह से समाज की तरक्की हो। वह बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों को इस महान क्षति के दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपके लिए तो सभी एक हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप चीफ व्हिप से कहिये कि ऐसे सीरियस मामलों में सीरियस रहने की आदत डालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो सीरियस हूं लेकिन·······

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह तो अपनी पार्टी मीटिंग में ही बने रहा करें, सदन में नहीं बनें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, यह दुनियां तीन भागों में बंटी हुई है। एक बड़ी शक्ति रूस है एक बड़ी शक्ति अमेरिका है और जो तीसरी शक्ति है वह है गुट निरपेक्ष देशों की है जिसका हमारा देश भारत वर्ष सदस्य है। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बड़ी घटना रूस में या अमेरिका में घटती है तो उसका प्रभाव हमारे देश में भी होना स्वाभाविक है। विशेष तौर से रूस तो सदैव से ही भारत का घनिष्ठ मित्र है, रहा है, सदैव से ही हमारा घनिष्ठ सहयोगी रहा है और आड़े वक्त में हमारे भारत वर्ष के लिये काम भी आया है। श्री यूरी आंद्रोपोव ने पिछले 15 महीनों से लगातार जितने प्रयास किये, जो कुछ भी जानकारी मैं रख पाया हूं विश्व शान्ति के लिये यूरी आन्द्रोपोव ने जितना काम किया उतना किसी ने भी नहीं किया। पिछले समय के दौरान संसार में बहुत सी ऐसी घटनायें घटी हैं उनमें रूस को मौका था, उन घटनाओं में दखल कर सकता था लेकिन जिस धैर्य से उन्होंने काम किया है और उन्होंने जिस धैर्य का परिचय दिया उसको देखते हुए यह महसूस होता था कि निकट भविष्य में यूरी आन्द्रोपोव के नेतृत्व में रूस अफगानिस्तान से भी पीछे हटेगा। लेकिन विश्व शान्ति में एक बहुत बड़ी घटना में योगदान देने के पहले ही वह हमारे बीच से चले गये। हम आशा करते हैं रूस के नेताओं को, जिन्हें अब नेतृत्व मिला है वह विश्व शान्ति के लिये जो प्रयास यूरी आन्द्रोपोव का था, उसको बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे।

हमें अपने देश का एक सच्चा मित्र खोने का भारी दुख है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं।

जहां तक सवाल भाई पोहूमल ईसरदास का है मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता हूं।

जहां तक सवाल जगदीशसिंह का है उनसे मेरे घनिष्ट संबंध थे। अध्यक्ष महोदय, जगदीशसिंह जी एक ऐसी जगह से चुनकर आते थे धौलपुर से, जहां कि कानून का राज्य नहीं है वहां पर जंगल का राज्य चलता है ऐसी जगह पर उस व्यक्ति का अपना अलग स्थान था। ऐसे व्यक्ति को खो कर धौलपुर की जनता बहुत दुखी है।

मैं उन दोनों के शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और विपक्ष के नेता ने और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो अपनी भावनायें सदन में व्यक्त की हैं उसमें मैं भी अपने आपको शरीक करता हूं मैं अपने दल की ओर से।

रूस के राष्ट्रपति यूरी आन्द्रोपोव, जिनका कि अभी-अभी निधन हुआ····

मजाक मत करिये आप।

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है।

बोलना भले नहीं आये पर जो भावनायें हैं उसको समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज दुनियां में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ऐसी कई हस्तियां हैं जो इस दुनिया को और इस मानव समाज को कुछ न कुछ दे जाते हैं। उन्हीं हस्तियों में यूरी आन्द्रोपोव एक थे। उन्होंने अपनी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी पार्टी और समाज को बहुत कुछ दिया। जब वह रूस के राष्ट्रपति चुने गये तो उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को और परिपक्व करके कम्युनिस्ट रूपान्तरण करने के लिये कार्यक्रम बनाये जिससे वहां की जनता को बहुत सुविधा दी जा सके। उन्होंने अपनी जनता के प्रतिदिन मेडिकल चैकअप के लिए और मकान बनाने की प्रक्रिया में जहां एक दिन में पांच हजार मकान बन सकें वहां एक दिन में दस हजार मकान बनाने की व्यवस्था की। उन्होंने वहां की आवासीय व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया था यही नहीं उन्होंने साइबेरिया से गैस पाइप लाइन लाकर फ्रांस के प्रान्तों में पहुंचाया। फ्रांस पूंजीवादी देश होते हुए भी वहां की जनता को गैस उपलब्ध कराई। साईबेरिया के बर्फ के ऐरिया से गैस लाइन लाकर दुनियां में एक अद्भुत आश्चर्य खड़ा कर दिया। वह विश्व शान्ति के लिए ऐसे महान व्यक्ति थे अध्यक्ष महोदय, जब कि अमेरिका यूरोप और दूसरे देशों में जगह-जगह पर अपने मिसाइल स्थापित कर रहा था तब उसकी साम्राज्यवादी नीति के सामने उन्होंने झुकना नहीं सीखा। लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ उन्होंने शान्ति के लिये अशैथिल्य होकर प्रयास किया पिछले डेढ़ साल में वह कुछ प्रयास नहीं कर पाये उसका कारण यह था कि वह बीमार ही रहे इसके बाद भी उन्होंने विश्व शान्ति के लिये दुनियां में कुछ न कुछ किया ही। आज जब कि दुनिया में चारों तरफ साम्राज्यवादी ताकतों का विस्तार हो रहा है और युद्ध का खतरा बना हुआ है। भारतवर्ष जैसे देश को साम्राज्यवादी देशों के खतरों से मुकाबला करने के लिये, हौसला बुलन्द करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने भारत के साथ कई नये करार के फैसले किये। आज सोवियत रूस और उसकी जनता ने हमको कुछ न कुछ दिया ही है। सोवियत रूस ने न केवल भारतवर्ष को ही परन्तु दुनियां के उन गरीब देशों, को जो कि अभी नये नये स्वतन्त्र हुए हैं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये प्रयास किये। ऐसे समय में खास तौर से जबकि दुनियां में विश्व शान्ति के लिये उनकी जरूरत थी उन्हें हमने खो दिया है। केवल रूस ही नहीं पूरी दुनियां ने ऐसे महान व्यक्ति को खो दिया है जो मानवता को बचाने के लिये बहुत उपयोगी हो सकता था।

मैं ऐसे व्यक्ति के निधन पर अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारे सदन के दो माननीय सदस्य पोहूमल ईसरदास और श्री जगदीशसिंह जी का निधन हो

(श्री मेघराज तावड़)

गया दोनों ही हमारी विधान सभा के सदस्य थे। हालांकि मेरा उनसे परिचय नहीं था लेकिन फिर भी जो भी माननीय सदस्य इस विधान सभा में चुन कर आता है वह अपना कहीं न कहीं अस्तित्व रखता है तभी यहां पर पहुंच पाता है। वह समाज के लिये बहुत ही उपयोगी होता है ऐसे व्यक्तियों के निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सदन में शोक प्रस्ताव रखे हैं कामरेड यूरी आन्द्रोपोव रूस के राष्ट्रपति और इस सदन के सदस्य श्री पोहूमल ईसरदास और श्री जगदीशसिंह जी के गुजरने के बारे में, इस प्रस्ताव में मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

कामरेड यूरी आन्द्रोपोव हमारे हिन्दुस्तान के सच्चे दोस्त थे और आड़े वक्त हमारे काम आये। मैं उम्मीद करूंगा कि सोवियत मन्डल के अध्यक्ष अब भी उसी तरह हमारे साथ दोस्ती रखेंगे जैसी कि रूस के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आन्द्रोपोव ने हमारे साथ दोस्ती रखी और हिन्दुस्तान से हर काम में सहयोग किया। श्री आन्द्रोपोव, जो दुनियां की एक बहुत बड़ी शक्ति थे, गुजर गये, बड़े मुल्क के लोग इस दुख से सतप्त हैं। मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

दूसरा श्री पोहूमल ईसरदास और श्री जगदीशसिंह जी, जो कि इस सदन के सदस्य रहे, आज हमारे बीच से चले गये। उनके दुखी परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता और विपक्ष के नेता महोदय ने और सदन के अलग-अलग दलों के नेताओं ने जो शोकाभिव्यक्ति की है मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

यूरी आन्द्रोपोव विश्व स्तर के बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। वह अपने देश रूस के राष्ट्राध्यक्ष और उच्च कोटि के नेता थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह भारत के समर्थक और मित्र थे।

वर्तमान में जिस तरह से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है ऐसे समय में श्री आन्द्रोपोव जैसे अनुभवी और धैर्यवान विश्व स्तर के नेता का हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री आन्द्रोपोव के निधन से विश्व ने उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ खो दिया, रूस ने अपना महान सपूत और राष्ट्राध्यक्ष खो दिया और भारत ने अपना एक सच्चा और परखा हुआ मित्र खो दिया। हमें उनके निधन पर हार्दिक दुःख है।

परम पिता परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे।

श्री पोहूमल ईसरदास तीसरी राजस्थान विधान सभा के अजमेर से निर्वाचित सदस्य थे। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में

(श्री अध्यक्ष)

उन्होंने कारावास की सजा भुगती थी। भारत में आने के पश्चात् उन्होंने कई रचनात्मक कार्य अपने हाथ में लिए। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे पत्रकारिता, शिक्षा के प्रसार, समाज सुधार आदि कई तरह के के कार्य कलाप उन्होंने अपने जीवन में चलाये। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से उठ जाना हम सबके लिए बड़े दुःख की बात है।

श्री जगदीशसिंह जी धौलपुर से चुन कर आये थे। मेरा उनसे सीधा सम्पर्क नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है उससे यह बात स्पष्ट है कि वह एक बहुत ही उत्साही और भले स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने इस सभा के माध्यम से और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी, उसके माध्यम से अपने क्षेत्र का और राजस्थान का भला करना अपने जीवन का उद्देश्य समझा। वे हमारी इस सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के भी दो वर्ष तक अध्यक्ष रहे। उनका असामयिक निधन हम सबके लिए बहुत ही दुःख का विषय है।

श्री पोहूमल और श्री जगदीशसिंह को मैं हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे दोनों दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों की आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार-जनों को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर मौन श्रृद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रृद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा में जो हिंसा की कार्यवाही हुई उसमें जितने लोग मारे गये, मैं समझता हूं कि सदन के नेता की जिम्मेदारी है कि जैसे विभिन्न विधान-सभाओं में भी उनको श्रृद्धांजलि अर्पित की गई, लोक सभा और राज्य सभा में भी उनको श्रृद्धांजलि अर्पित की गई, इस दृष्टि से हमारा कर्तव्य है कि वहां पर जो हिंसा की आग लगी हुई है उसको देखते हुए शान्तिप्रिय लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनको भी श्रृद्धांजलि अर्पित करें और वहा पर शान्ति की अपील करें।

(व्यवधान)

आप लोग राज में बैठे हो। यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : निःसन्देह यह घटना बड़ी दर्दनाक और····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार को कहने दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी हाउस की परम्परायें नहीं रही हैं। जो कुछ हुआ है उसके लिए सबको दुःख है।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कोई उसको अच्छा नहीं मानता लेकिन इस तरह से शुरू कर देंगे तो बड़ी आबादी का देश है, हर रोज अखबारों मे कभी एक्सीडेंट की और कभी किसी की घटनायें आती रहती हैं। इसलिए कोई नई परम्परा डालने की मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह कोई नयी परम्परा नहीं है।

श्री माथूसिंह : आप इसे एक्सीडेंट से जोड़ रहे हैं। कम से कम सदन को इतना लोअर नहीं ले जायं आप।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है बड़ी आबादी वाला देश है। कई तरह के विवाद चलते रहते हैं और कई तरह की दुखद घटनायें होती रहती हैं। प्रत्येक के लिए यहां पर औपचारिक रूप से शोक व्यक्त करना सम्भव नहीं होगा। सबको हार्दिक दुःख है कि दुर्घटनायें हुई लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर शोक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 12.47 बजे मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 1984 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)